भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के

निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देश

INFRASTRUCTURE
Building for Growth

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के

निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देश

2008

© आर्थिक कार्य विभाग
सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक
पीपीपी प्रकोष्ठ
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
भारत
www.pppinindia.com

रूपांकित एवं मुद्रित
मैक्रो ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
www.macrographics.com

2008

विषय-सूची

प्राक्कथन iii

शब्दावली v

1. सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देश 1

सभी क्षेत्रों के लिए 250 करोड़ रुपए या ज्यादा अथवा एनएचडीपी के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपए या ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं के लिए

1. प्रस्तावना 1
2. संस्थागत संरचना 1
3. प्रयोज्यता 1
4. परियोजना का चयन 1
5. अन्तर-मंत्रालयीय विचार-विमर्श 2
6. सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति का 'सिद्धांततः' अनुमोदन 2
7. रूचि की अभिव्यक्ति 2
8. परियोजना दस्तावेज तैयार करना 2
9. सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) का मूल्यांकन/अनुमोदन 2
10. बोलियां आमंत्रित करना 3
11. निर्धारित समय-सीमा 3
12. उपर्युक्त प्रक्रिया से छूट 3

अनुबंध-I संस्थागत संरचना 4

अनुबंध-II सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए ज्ञापन ('सिद्धांततः' अनुमोदन हेतु) 5

परिशिष्ट-क प्रस्तावित अनुदान करार का मियाद पत्रक 7

अनुबंध-III सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए ज्ञापन (अंतिम अनुमोदन हेतु) 9

परिशिष्ट-क प्रस्तावित अनुदान करार का मियाद पत्रक 10

अनुबंध-IV सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले विभिन्न उपायों के लिए अपेक्षित समय 12

2. सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश 13

(i) सभी क्षेत्रों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 250 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाऐं

(ii) एनएचडीपी के अन्तर्गत 250 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाऐं

1. प्रस्तावना 13
2. संस्थागत संरचना 13
3. प्रयोज्यता 14
4. परियोजना का चयन 14
5. परियोजना दस्तावेजों का प्रतिपादन 15
6. एसएफसी का मूल्यांकन/अनुमोदन 15
7. समिति द्वारा अनुमोदन 15
8. बोलियां आमंत्रित करना 15
9. समय-सूची 16
10. उपर्युक्त प्रक्रिया से छूट 16

अनुबंध-I स्थायी वित्त समिति के लिए ज्ञापन 17
परिशिष्ट-क अनुदान करार का संक्षिप्त विवरण 19
अनुबंध-II मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न उपायों हेतु अपेक्षित समय 22

3. सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देश 23

100 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाऐं

1. प्रस्तावना 23
2. संस्थागत संरचना 23
3. प्रयोज्यता 23
4. परियोजना का चयन 24
5. अन्तर-मंत्रालयीय विचार-विमर्श 24
6. परियोजना दस्तावेज तैयार करना 24
7. स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति का मूल्यांकन/अनुमोदन 24
8. बोलियां आमंत्रित करना 25
9. निर्धारित समय-सीमा 25
10. उपर्युक्त प्रक्रिया से छूट 25

अनुबंध-I स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति के लिए ज्ञापन 26
परिशिष्ट-क अनुदान करार का संक्षिप्त विवरण 28
अनुबंध-II मूल्यांकन प्रक्रिया के अन्तर्गत किए जाने वाले विभिन्न उपायों हेतु अपेक्षित समय 30

4. सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदन की प्रक्रियाऐं 31

सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति का गठन

अनुबंध-I सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदन की प्रक्रियाऐं 32

प्राक्कथन

सतत आधार पर उच्च विकास पथ को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का प्रावधान निर्णायक है। अवसंरचना में सार्वजनिक निवेशों को बढ़ाते हुए सरकार सक्रिय रूप से ऐसे उपयुक्त नीतिगत ढांचे को तलाशने में सक्रिय रूप से लगी है जो निजी क्षेत्र को अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने हेतु पर्याप्त विश्वास देगा और साथ ही पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और विनिमय के माध्यम से यथेष्ट जांच पड़ताल और संतुलनों को बनाए रखेगा। परिणास्वरूप, सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन और प्रचालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक पूंजी को महत्व देने और अवसंरचना परियोजनाओं के बड़े समूहों को कार्यान्वित करने के लिए पीपीपी निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाने और लागत को कम करने की प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ-साथ प्रचालन और अनुरक्षण में कार्यकुशलता का लाभ उठाना चाहती है।

अवसंरचना में सार्वजनिक निवेशों को बढ़ाते हुए सरकार सक्रिय रूप से ऐसे उपयुक्त नीतिगत ढांचे को तलाशने में सक्रिय रूप से लगी है जो निजी क्षेत्र को अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने हेतु पर्याप्त विश्वास देगा और साथ ही पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और विनिमय के माध्यम से यथेष्ट जांच पड़ताल और संतुलनों को बनाए रखेगा

पीपीपी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की कार्रवाई जटिल और नाजुक हैं। बड़ी मात्रा में आरम्भिक निवेश, अनुदान अवधि के लिए सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को निजी क्षेत्र के भागीदार को हस्तांतरित करना, समावेशी विकास के उद्देश्यों के साथ वाणिज्यिक निजी हितों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं में संतुलन लाने की जरूरत परियोजना की संरचना के महत्व को व्यक्त करते हैं। परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से प्रायः पूंजी अनुदान के रूप में सरकारी सहायता की भी जरूरत हो सकती है। अवसंरचना परियोजनाओं में निजी भागीदारी द्वारा आर्थिक दृष्टि से इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए निजी और सरकारी भागीदारों के मध्य जोखिमों का उपयुक्त आबंटन और दोनों ही पक्षों को लाभों का संतुलन बनाए रखना निर्णायक है। भारी मात्रा में आकस्मिक उत्तरदायित्वों के होते हुए यथोचित कर्मनिष्ठता भी अनिवार्य है जिससे ऐसी परियोजनाओं से राज्यों पर जिम्मेदारी पड़े।

इन अपेक्षाओं को पहचानते हुए भारत सरकार ने परियोजनाओं का त्वरित गति से मूल्याकंन सुनिश्चित करने, अत्युत्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने और मूल्यांकन प्रणाली तथा दिशा-निर्देशों में एकरूपता लाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं को तैयार करने, उनके मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं।

सभी क्षेत्रों की पीपीपी परियोजनाओं का जिनमें पूंजी लागते या परिसम्पत्तियों का आधारिक मूल्य 250 करोड़ रुपए या अधिक होगा अथवा एनएचडीपी के अन्तर्गत जहां पूंजी लागतें या परिसम्पत्तियों का आधारिक मूल्य 500 करोड़ रुपए अथवा अधिक होगा, तीव्र गति से मूल्यांकन करने और उन्हें अनुमोदित करने के उद्देश्य से सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है जिसमें सचिव (आर्थिक कार्य) अध्यक्ष, और सचिव (योजना आयोग),

भारत सरकार ने परियोजनाओं का त्वरित गति से मूल्यांकन सुनिश्चित करने, अत्युत्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने और मूल्यांकन प्रणाली तथा दिशा-निर्देशों में एकरूपता लाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं को तैयार करने, उनके मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं

सचिव (व्यय), सचिव (विधि कार्य) और परियोजना को प्रायोजित करने वाले विभाग का सचिव इसके सदस्य होंगे।

केन्द्रीय क्षेत्र की 100 करोड़ रुपए से कम की परियोजना लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं तथा सभी क्षेत्रों की 100 करोड़ रुपए से लेकर 250 करोड़ रुपए की लागत वाली और एनएचडीपी के तहत 250 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए से कम लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं के लिए भी दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

इस संक्षिप्त रिपोर्ट में केन्द्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों का एक साथ उल्लेख किया गया है। आशा की जाती है कि पीपीपी परियोजनाओं की संरचना करते समय यह संकलन प्रायोजन प्राधिकारियों के लिए एक उपयोगी संदर्भ होगा।

शब्दावली

बीओएलटी	बनाओ, चलाओ, पट्टे पर दो, अंतरण करो
बीओओटी	बनाओ, चलाओ, स्वामित्व रखो, अन्तरण करो
बीओटी	बनाओ, चलाओ, अन्तरण करो
सीसीईए	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
जीओआई	भारत सरकार
आईआरआर	आंतरिक लाभ दर
एमसीए	मॉडल अनुदान करार
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनएचडीपी	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना
पीएएमडी	परियोजना मूल्यांकन और मानीटरिंग प्रभाग
पीआईबी	सरकारी निवेश बोर्ड
पीपीपी	सरकारी निजी भागीदारी
पीपीपीएयू	सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन एकक
आरएफपी	प्रस्तावों के लिए अनुरोध
आरएफक्यू	अर्हता के लिए अनुरोध
एसएफसी	स्थायी वित्त समिति

सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देश

सभी क्षेत्रों के लिए 250 करोड़ रुपए या ज्यादा अथवा एनएचडीपी के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपए या ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं के लिए

1. प्रस्तावना

1.1 केन्द्र सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रिया अधिसूचित की है। इस प्रयोजन हेतु अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया इस प्रकार विर्निदिष्ट की गई है।

2. संस्थागत संरचना

2.1 मूल्यांकन/अनुमोदन पद्धति की संस्थागत संरचना अनुबंध-I में विनिर्दिष्ट है।

3. प्रयोज्यता

3.1 ये दिशा-निर्देश केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों अथवा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, सांविधिक प्राधिकरणों अथवा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा प्रायोजित सभी सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए लागू होंगे।

3.2 यहां निर्दिष्ट की गई प्रक्रिया 100 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी लागत वाली सभी पीपीपी परियोजनाओं अथवा जिनमें अधिकारिक आस्तियों का मूल्य निर्धारण 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि पर किया जाता है, पर लागू होगी। न्यूनतम पूंजी लागत/मूल्य वाली पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए व्यय विभाग द्वारा विस्तृत अनुदेश जारी किए जाएंगे।

न्यूनतम पूंजी लागत/मूल्य वाली पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए व्यय विभाग द्वारा विस्तृत अनुदेश जारी किए जाएंगे

4. परियोजना का चयन

4.1 प्रायोजक मंत्रालय सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का चयन करेंगे और विधिक, वित्तीय तथा तकनीकी विशेषज्ञों, जैसी भी आवश्यकता होगी, की सहायता से संभाव्यता अध्ययन, परियोजना करार आदि तैयार करने का कार्य करेंगे।

टिप्पणीः सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देश वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा का0ज्ञा0सं0 1/5/2005-पीपीपी दिनांक 12 जनवरी, 2006 के तहत अधिसूचित किया गया है।

5. अन्तर-मंत्रालयीय विचार-विमर्श

5.1 प्रशासनिक मंत्रालय, यदि आवश्यक समझे, परियोजना के ब्यौरे और अनुदान करार की शर्तों पर अन्तर-मंत्रालयीय परामर्शदायी समिति के साथ चर्चा कर सकता है और टिप्पणियों को, यदि कोई हों, सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्ताव में शामिल अथवा उसके साथ संलग्न कर सकता है।

5.2 ऐसी भी परियोजनाएं हो सकती हैं जिनमें एक से अधिक मंत्रालय/विभाग शामिल हों। ऐसी परियोजनाओं पर विचार करते समय इन मंत्रालयों/विभागों से सहयोग के लिए अनुरोध किया जाए।

6. सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति का 'सिद्धांततः' अनुमोदन

6.1 सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की 'सिद्धांततः' स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध करते समय, प्रशासनिक मंत्रालय अनुबंध-II में विर्निदिष्ट प्रपत्र में अपना प्रस्ताव (छह प्रतियों में हार्ड और सॉफ्ट दोनों रूपों में) पीपीपीएसी सचिवालय को प्रस्तुत करेगा और इसके साथ पूर्व-संभाव्यता/संभाव्यता रिपोर्ट तथा प्रस्तावित परियोजना करारों की विशेषताओं से युक्त एक शर्त-पत्र संलग्न करेगा।

6.2 पीपीपीएसी सचिवालय सभी संबंधितों को पीपीपीएसी ज्ञापन और संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां परिचालित करेगा।

6.3 उन मामलों में, जिनमें पीपीपी परियोजना विधिवत अनुमोदित मॉडल अनुदान करार (मॉडल अनुदान करार) पर आधारित है, पीपीपीएसी से सिद्धांततः स्वीकृति प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी।

7. रूचि की अभिव्यक्ति

7.1 प्रशासनिक मंत्रालय पीपीपीएसी की सिद्धांततः स्वीकृति प्राप्त करने के बाद योग्यता के लिए अनुरोध के रूप में रूचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित करेगा जिसके बाद पूर्व-अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं का चयन किया जाएगा।

ये दिशा-निर्देश केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों अथवा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, सांविधिक प्राधिकरणों अथवा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा प्रायोजित सभी सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए लागू होंगे

8. परियोजना दस्तावेज तैयार करना

8.1 तैयार किए जाने वाले जरूरी दस्तावेजों में, अन्यों के साथ, अनुदानग्राहियों के साथ किए जाने वाले विभिन्न करार शामिल होंगे जिनमें अनुदान की शर्तों और विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों का ब्यौरा दिया जाएगा। ये परियोजना दस्तावेज, परियोजना के क्षेत्र तथा प्रकार के अनुरूप भिन्न-भिन्न होंगे। सरकारी निजी भागीदारी में, विशिष्ट रूप से, ऐसा अनुदान करार होगा जो निजी पक्षकार को प्रदान किए गए अनुदान की शर्तों को निर्दिष्ट करेगा और इसमें सभी पक्षकारों के अधिकार और दायित्व सम्मिलित होंगे। विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर संयुक्त करार किए जा सकेंगे।

9. सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) का मूल्यांकन/अनुमोदन

9.1 प्रस्तावों के लिए अनुरोध अर्थात् वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण में, सामान्यतः सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित सभी करारों की एक-एक प्रति

संलग्न की जानी चाहिए। प्रस्तावों के लिए अनुरोध का प्रारूप तैयार करने के बाद, प्रशासनिक मंत्रालय, वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने से पूर्व, सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति की स्वीकृति के लिए अनुरोध करेगा।

9.2 सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति की स्वीकृति मांगने का प्रस्ताव (छह प्रतियों में) सभी परियोजना करारों के प्रारूपों और परियोजना रिपोर्ट की प्रतियों सहित अनुबंध-III में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में, सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति के सचिवालय को भेजा जाएगा। यह प्रस्ताव सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।

9.3 योजना आयोग परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा और अपनी मूल्यांकन टिप्पणी पीपीपीएसी सचिवालय को अग्रेषित करेगा। इसमें शामिल विधि मंत्रालय और अन्य मंत्रालय/विभाग भी पीपीपीएसी सचिवालय को अपने अभिमत निर्धारित समयावधि के अन्दर लिखित रूप में भेजेगें। पीपीपीएसी सचिवालय सभी अभिमत प्रशासनिक मंत्रालय को अग्रेषित करेगा जो प्रत्येक अभिमत के संबंध में लिखित रूप में जवाब प्रस्तुत करेगा।

सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने तक पीपीपीएसी की स्वीकृति के बाद वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जा सकती हैं

9.4 पीपीपीएसी ज्ञापन सहित अनुदान करार तथा अन्य संबंधित करार/दस्तावेज पीपीपीएसी के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। पीपीपीएसी मूल्यांकन टिप्पणी तथा विभिन्न मंत्रालयों की टिप्पणियों और उन पर प्रशासनिक मंत्रालय के दृष्टिकोण पर विचार करेगी।

9.5 पीपीपीएसी समिति या तो प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी (संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना) के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगी अथवा प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध करेगी कि उसमें आवश्यक संशोधन करें जिससे कि पीपीपीएसी उस पर पुनः विचार कर सके।

9.6 पीपीपीएसी की स्वीकृति मिल जाने पर परियोजना को सक्षम प्राधिकारी के अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी वही होगा जो सरकारी निवेश बोर्ड द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन के मामले में लागू होता है।

10. बोलियां आमंत्रित करना

10.1 सक्षम प्राधिकारी का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जा सकेंगी। तथापि, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने तक पीपीपीएसी की स्वीकृति के बाद वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जा सकती है।

11. निर्धारित समय-सीमा

11.1 उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत परियोजनाओं के मूल्यांकन की निर्धारित समय सीमा अनुबंध-IV में दी गई है।

12. उपर्युक्त प्रक्रिया से छूट

12.1 रक्षा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्तरिक्ष विभाग को इन दिशा-निर्देशों के अधिकार-क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा।

अनुबंध-I
संस्थागत संरचना

सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति

सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित सभी करारों की एक-एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए

1. आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति की 27 अक्तूबर, 2005 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में एक सरकारी निजी भागीदारी अनुमोदन समिति स्थापित की गई है जिसके निम्नलिखित सदस्य/अधिकारी होंगेः

(क) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (अध्यक्ष)

(ख) सचिव, योजना आयोग

(ग) सचिव, व्यय विभाग

(घ) सचिव, विधिक कार्य विभाग; और

(ङ) परियोजना को प्रायोजित करने वाले विभाग के सचिव। यह समिति आवश्यकता होने पर विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगी

2. समिति का प्रबंध आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा जो इन प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति सचिवालय नामक एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करेगा।

3. वित्त मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा जो अनुदान करारों की वित्तीय दृष्टिकोण से जांच करने, दी जानी वाली गारंटियों का निर्णय लेने और निवेश तथा बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य से जोखिम आवंटन का सामान्यतया मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि परियोजनाओं की जांच सरकारी व्यय के परिप्रेक्ष्य में की जाती है।

4. योजना आयोग वर्तमान पीएएमडी के अनुरूप एक पीपीपी मूल्यांकन यूनिट स्थापित करेगा जोकि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगी। यह यूनिट पीपीपीएसी के लिए एक मूल्यांकन टिप्पणी तैयार करेगी जिसमें अनुदान की शर्तों में सुधार करने के लिए जहां ऐसा करना संभव हो, विशेष प्रकार के सुझाव दिए जाएंगे।

5. पीपीपी मूल्यांकन समिति में विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग का भी प्रतिनिधित्व होगा क्योंकि अनुदान करारों की ध्यानपूर्वक विधिक जांच-पड़ताल की जरूरत होगी।

अनुबंध-II

सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए ज्ञापन

'सिद्धांततः' अनुमोदन हेतु

क्र0सं0	मद	विवरण
1	**सामान्य**	
1.1	परियोजना का नाम	
1.2	सरकारी निजी भागीदारी का प्रकार (बीओटी, बीओओटी, बीओएलटी, ओएमटी आदि)	
1.3	स्थान (राज्य/जिला/कस्बा)	
1.4	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	
1.5	प्रायोजक प्राधिकरण का नाम	
1.6	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	
2	**परियोजना विवरण**	
2.1	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	
2.2	परियोजना का औचित्य	
2.3	संभावित विकल्प, यदि कोई हो	
2.4	अनुमानित पूंजी लागत तथा मुख्य व्यय शीर्षों के अंतर्गत अलग-अलग विवरण। लागत अनुमान के आधार का भी उल्लेख करें	
2.5	कितने चरणों में निवेश करना है	
2.6	परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची	
3	**वित्त-पोषण की व्यवस्था**	
3.1	वित्तपोषण के स्रोत (इक्विटी, ऋण, बिचौलिया पूंजी आदि)	
3.2	परियोजना राजस्व प्रवाह (परियोजना की अवधि में वार्षिक प्रवाह) का उल्लेख करें। किन धारणाओं पर विचार चल रहा है, निर्दिष्ट करें	
3.3	12 प्रतिशत छूट सहित राजस्व प्रवाह का एनपीवी दर्शाएं	

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देश:
सभी क्षेत्रों के लिए 250 करोड़ रुपए या ज्यादा अथवा एनएचडीपी के लिए 500 करोड़ रुपए या ज्यादा

क्र0सं0	मद	विवरण
3.4	टैरिफ/प्रयोक्ता प्रभार कौन नियत करेगा? कृपया विस्तारपूर्वक बताएं	
3.5	क्या किसी वित्तीय संस्था से संपर्क किया गया है, यदि हां, तो इस संबंध में उनका उत्तर निर्दिष्ट करें	
4	**आंतरिक लाभ दर**	
4.1	आर्थिक आंतरिक लाभ दर (यदि गणना की गई है)	
4.2	वित्तीय आईआरआर, विभिन्न पूर्वानुमानों का भी उल्लेख करें (यदि आवश्यक हो तो पृथक पत्रक संलग्न करें)	
5	**स्वीकृतियां**	
5.1	पर्यावरणीय स्वीकृतियों की स्थिति	
5.2	राज्य सरकार और अन्य स्थानीय निकायों से अपेक्षित स्वीकृतियां	
5.3	राज्य सरकार से अपेक्षित अन्य सहायता	
6	**भारत सरकार की सहायता**	
6.1	अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण, यदि आवश्यक हो	
6.2	भारत सरकार की मांगी गई गारंटी, यदि आवश्यक है,	
7	**अनुदान करार**	
7.1	प्रस्तावित अनुदान करार का मियाद पत्रक (परिशिष्ट 'क' में संलग्न)	
8	**छांटने की प्रक्रिया**	
8.1	क्या छांटने की प्रक्रिया एक चरण में अथवा दो चरणों में होनी चाहिए?	
8.2	छांटने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करें (यदि आवश्यक हो, अलग से पत्रक संलग्न करें)	
9	**अन्य**	
9.1	अभ्युक्तियां, यदि कोई हैं	

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

परिशिष्ट-क

प्रस्तावित अनुदान करार का मियाद पत्रक

क. प्रायोजक मंत्रालय

ख. परियोजना का नाम और स्थान

ग. कानूनी सलाहकार

घ. वित्त सलाहकार

क्र0सं0	मद	विवरण
1	**सामान्य**	
1.1	परियोजना का व्याप्ति क्षेत्र (कृपया लगभग 200 शब्दों में उल्लेख करें)	
1.2	प्रदान किए जाने वाले अनुदान की प्रकृति	
1.3	अनुदान की अवधि और अवधि निर्धारित करने का औचित्य	
1.4	अनुमानित पूंजी लागत	
1.5	संभावित निर्माण अवधि	
1.6	अनुदान को प्रभावी बनाने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें, यदि कोई हों	
1.7	भूमि अधिग्रहण की स्थिति	
2	**निर्माण और संगठन एवं पद्धति**	
2.1	निर्माण की निगरानी; क्या इसके लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी/इंजीनियर विचाराधीन है	
2.2	संगठन एवं पद्धित संबंधी न्यूनतम मानक	
2.3	संगठन एवं पद्धित संबंधी निर्धारित मानकों/कार्य निष्पादन मानकों का उल्लंघन किए जाने पर शास्तियां	
2.4	सुरक्षा संबंधी प्रावधान	
2.5	पर्यावरण संबंधी प्रावधान	
3	**वित्तीय**	
3.1	वित्तीय समापन करने के लिए अधिकतम अवधि	
3.2	विचाराधीन पूंजी अनुदान/सब्सिडी की प्रकृति और सीमा	
3.3	बोली मापदण्ड (पूंजी सब्सिडी अथवा अन्य मापदण्ड)	
3.4	व्याप्ति क्षेत्र परिवर्तन और उसके वित्तीय बोझ को कम करने के प्रावधान	
3.5	अनुदानग्राही द्वारा देय अनुदान शुल्क, यदि कोई हो	
3.6	अनुदानग्राही द्वारा वसूल किया जाने वाला प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क	

क्र0सं0	मद	विवरण
3.7	उल्लेख करें कि प्रयोक्ता शुल्क कैसे निर्धारित किया जाएगा; प्रयोक्ता शुल्क के समर्थन में विधिक प्रावधान (संगत नियम/अधिसूचना की प्रति संलग्न करें); और मुद्रास्फीति के लिए सूचीकरण की सीमा और प्रकृति	
3.8	अल्प राजस्व संग्रहण के जोखिम को कम करने के लिए प्रावधान, यदि कोई हो	
3.9	विलेख खाते के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हो	
3.10	बीमा के संबंध में प्रावधान	
3.11	दावों की लेखा-परीक्षा और प्रमाणीकरण संबंधी प्रावधान	
3.12	उधारकर्ताओं के कार्य सौंपने/स्थानापन्न संबंधी अधिकारों से संबंधित प्रावधान	
3.13	कानून में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान	
3.14	समापन/समय व्यतीत हो जाने पर आस्तियों की अनिवार्य रूप से वापसी खरीद के लिए प्रावधान, यदि कोई हो	
3.15	सरकार की आकस्मिक देयताएं	
	(क) सरकार/प्राधिकरण से चूक होने पर अधिकतम समापन भुगतान	
	(ख) अनुदानग्राही से चूक होने पर, अधिकतम समापन भुगतान	
	(ग) करार के अंतर्गत विचाराधीन किसी अन्य शास्ति, क्षतिपूर्ति अथवा संदाय का उल्लेख करें	
4	**अन्य**	
4.1	प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हों	
4.2	प्रस्तावित विवाद निस्तारण तंत्र का विवरण दें	
4.3	प्रस्तावित शासी कानून और औचित्य का विवरण दें	
4.4	अन्य अभ्युक्तियां, यदि कोई हों	

अनुबंध-III

सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के लिए ज्ञापन

अंतिम अनुमोदन हेतु

क्र0सं0	मद	विवरण
1	**सामान्य**	
1.1	परियोजना का नाम	
1.2	सरकारी निजी भागीदारी का प्रकार (बीओटी, बीओओटी, बीओएलटी, ओएमटी आदि)	
1.3	स्थान (राज्य/जिला/कस्बा)	
1.4	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	
1.5	प्रायोजक प्राधिकारी का नाम	
1.6	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	
2	**परियोजना विवरण**	
2.1	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	
2.2	परियोजना का औचित्य	
2.3	संभावित विकल्प, यदि कोई हो	
2.4	अनुमानित पूंजी लागत तथा मुख्य व्यय शीर्षों के अंतर्गत अलग-अलग विवरण। लागत अनुमान के आधार का उल्लेख करें	
2.5	कितने चरणों में निवेश करना है	
2.6	परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची	
3	**वित्त-पोषण की व्यवस्था**	
3.1	वित्तपोषण के स्रोत (इक्विटी, ऋण, बिचौलिया पूंजी आदि)	
3.2	परियोजना राजस्व प्रवाह (परियोजना की अवधि में वार्षिक प्रवाह) का उल्लेख करें। किन धारणाओं पर विचार चल रहा है	
3.3	12 प्रतिशत छूट सहित राजस्व प्रवाह का एनपीवी दर्शाएं	
3.4	टैरिफ/प्रयोक्ता प्रभार कौन नियत करेगा? कृपया विस्तारपूर्वक उल्लेख करें	
3.5	क्या किसी वित्तीय संस्था से संपर्क किया गया है, यदि हां, तो इस संबंध में उनका उत्तर निर्दिष्ट करें	
4	**आंतरिक लाभ दर**	
4.1	आर्थिक आंतरिक लाभ दर (यदि गणना की गई है)	
4.2	वित्तीय आईआरआर विभिन्न पूर्वानुमानों का भी उल्लेख करें (यदि आवश्यक हो तो पृथक पत्रक संलग्न करें)	
5	**स्वीकृतियां**	
5.1	पर्यावरणीय स्वीकृतियों की स्थिति	
5.2	राज्य सरकार और अन्य स्थानीय निकायों से अपेक्षित स्वीकृतियां	
5.3	राज्य सरकार से अपेक्षित अन्य सहायता	
6	**भारत सरकार की सहायता**	
6.1	अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण, यदि आवश्यक हो	
6.2	भारत सरकार की मांगी जा रही गारंटी, यदि आवश्यक है	
7	**अनुदान करार**	
7.1	क्या अनुदान करार एमसीए पर आधारित है? यदि हां, तो विस्तृत टिप्पणी में अंतरों यदि कोई हो का उल्लेख करें (संलग्न किया जाए)	
7.2	अनुदान करार का ब्यौरा (परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न)	
8	**छांटने की प्रक्रिया**	
8.1	क्या छांटने की प्रक्रिया? एक चरण में होनी चाहिए अथवा दो चरणों में?	
8.2	छांटने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करें (यदि आवश्यक हो, अलग से पत्रक संलग्न करें)	
9	**अन्य**	
9.1	अभ्युक्तियां, यदि कोई हो	

परिशिष्ट-क

प्रस्तावित अनुदान करार का मियाद पत्रक

क. प्रायोजक मंत्रालय

ख. परियोजना का नाम और स्थान

ग. कानूनी सलाहकार

घ. वित्त सलाहकार

क्र0सं0	मद	धारा संख्या	विवरण
1	**सामान्य**		
1.1	परियोजना का व्याप्ति क्षेत्र (कृपया लगभग 200 शब्दों में उल्लेख करें)		
1.2	प्रदान किए जाने वाले अनुदान की प्रकृति		
1.3	अनुदान की अवधि और अवधि निर्धारित करने का औचित्य		
1.4	अनुमानित पूंजी लागत		
1.5	संभावित निर्माण अवधि		
1.6	अनुदान को प्रभावी बनाने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें, यदि कोई हों।		
1.7	भूमि अधिग्रहण की स्थिति		
2	**निर्माण और संगठन एवं पद्धति**		
2.1	निर्माण की निगरानी; क्या इसके लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी/इंजीनियर को लगाया गया है		
2.2	संगठन एवं पद्धति संबंधी न्यूनतम मानक		
2.3	संगठन एवं पद्धति संबंधी निर्धारित मानकों/कार्य निष्पादन मानकों का उल्लंघन किए जाने पर शास्तियां		
2.4	सुरक्षा संबंधी प्रावधान		
2.5	पर्यावरण संबंधी प्रावधान		
3	**वित्तीय**		
3.1	वित्तीय समापन करने के लिए अधिकतम अवधि		
3.2	विचाराधीन पूंजी अनुदान/सब्सिडी की प्रकृति और सीमा		
3.3	बोली मापदण्ड (पूंजी सब्सिडी अथवा अन्य मापदण्ड)		
3.4	व्याप्ति क्षेत्र परिवर्तन और उसके वित्तीय बोझ को कम करने के प्रावधान		
3.5	अनुदानग्राही द्वारा देय अनुदान शुल्क, यदि कोई हो		
3.6	अनुदानग्राही द्वारा वसूल किया जाने वाला प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क		

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

क्र0सं0	मद	धारा संख्या	विवरण
3.7	उल्लेख करें कि प्रयोक्ता शुल्क कैसे निर्धारित किया जाएगा; प्रयोक्ता शुल्क के समर्थन में विधिक प्रावधान (संगत नियम/अधिसूचना की प्रति संलग्न करें); और मुद्रास्फीति के लिए सूचीकरण की सीमा और प्रकृति		
3.8	अल्प राजस्व संग्रहण के जोखिम को कम करने के लिए प्रावधान, यदि कोई हो		
3.9	विलेख खाते के संबंध में प्रावधान, यदि कोई है		
3.10	बीमा के संबंध में प्रावधान		
3.11	दावों की लेखा-परीक्षा और प्रमाणीकरण संबंधी प्रावधान		
3.12	उधारकर्ताओं के कार्य सौंपने/स्थानापन्न संबंधी अधिकारों से संबंधित प्रावधान		
3.13	कानून में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान		
3.14	समापन/समय व्यतीत हो जाने पर आस्तियों की अनिवार्य रूप से वापसी खरीद के लिए प्रावधान यदि, कोई हो		
3.15	सरकार की आकस्मिक देयताएं		
	(क) सरकार/प्राधिकरण से चूक होने पर अधिकतम समापन भुगतान		
	(ख) अनुदानग्राही से चूक होने पर, अधिकतम समापन भुगतान		
	(ग) करार के अंतर्गत विचाराधीन किसी अन्य शास्ति, क्षतिपूर्ति अथवा संदाय का उल्लेख करें		
4	**अन्य**		
4.1	प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हों		
4.2	प्रस्तावित विवाद निस्तारण तंत्र का विवरण दें		
4.3	प्रस्तावित शासी कानून और औचित्य का विवरण दें		
4.4	अन्य अभ्युक्तियां, यदि कोई, हों		

अनुबंध-IV

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले विभिन्न उपायों के लिए अपेक्षित समय

क्र0सं0	कार्रवाई	कितना समय लगा
1.	सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा 'सिद्धांततः' अनुमोदन	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय से तीन सप्ताह
2.	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतिम दस्तावेजों पर योजना आयोग, आर्थिक कार्य विभाग अथवा किसी अन्य मंत्रालय/विभाग की टिप्पणियां	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम दस्तावेज प्रस्तुत करने के समय से चार सप्ताह
3.	सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम दस्तावेज सहित सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन समिति संबंधी ज्ञापन प्रस्तुत करने से तीन सप्ताह

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश

(i) सभी क्षेत्रों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 250 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाऐं

(ii) एनएचडीपी के अन्तर्गत 250 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए से कम रुपए से कम लागत वाली परियोजनाऐं

1. प्रस्तावना

1.1 सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की दि0 27 अक्टूबर, 2005 को हुई बैठक के निर्णय द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया जिसे आ0का0वि0 की दि0 29 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना सं0 2/10/2004-इन्फ्रा0 के तहत अधिसूचित किया गया था, आर्थिक कार्य संबधी मंत्रिमंडल समिति की 22 अप्रैल, 2007 की बैठक में संशोधित करते हुए दि0 2 अप्रैल, 2007 की आ0का0वि0 की अधिसूचना सं0 10/32/2006-इन्फ्रा0 के तहत अधिसूचित किया गया है।

1.2 (i) सभी क्षेत्रों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 250 करोड़ रुपए से कम लागत वाली और (ii) एनएचडीपी के अन्तर्गत 250 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए से कम लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए और पैरा 3.1 (ii) (क) से (ग) में यथा उल्लेखित कतिपय शर्तों को पूरा करने हेतु ब्यौरेवार प्रक्रिया नीचे दी गयी है।

100 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 250 करोड़ रुपए से कम लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की गई है

2. संस्थागत संरचना

2.1 आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसरण में जिसे आ0का0वि0 की 2 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया था।

i. सभी क्षेत्रों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 250 करोड़ रुपए से कम लागत वाली पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की गई है जो निम्नानुसार होगी:

   (क) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग

   (ख) परियोजना को प्रायोजित करने वाले मंत्रालय/विभाग के सचिव

ii. एनएचडीपी के अन्तर्गत 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाएं जो नीचे पैरा 3.1(ii)(क) से (ग) में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हैं, के मूल्यांकन के लिए समिति निम्नानुसार होगी:

   (क) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग

   (ख) सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग

टिप्पणी: इसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा का0ज्ञा0सं0 एफ 10/3/2006-इन्फ्रा0 दिनांक 24 जुलाई, 2007 के तहत अधिसूचित किया गया है।

2.2 आरम्भ में परियोजनाओं का मूल्यांकन स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा किया जाएगा। एसएफसी का गठन निम्नानुसार होगा:-

प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव	अध्यक्ष
वित्तीय सलाहकार	सदस्य
संबंधित प्रभाग के संयुक्त सचिव	सदस्य
विधि कार्य विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य

यदि आवश्यकता हुई तो योजना आयोग और किसी अन्य मंत्रालय/विभाग का प्रतिनिधि भी बुलाया जा सकता है। एसएफसी या तो उपर्युक्त पैरा 2.1 में समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करेगी अन्यथा एसएफसी के पुनः विचारार्थ हेतु आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध करेगी।

प्रथम अवस्था में एनएचएआई दूसरे चरण में वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने के लिए बोली-पूर्व अर्हता मानदंडों के आधार पर बोलीदाताओं की छंटनी कर सकता है

2.3 प्रत्येक परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी वही होंगे जो 100 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए से कम लागत वाले सामान्य निवेश प्रस्तावों के लिए होता है।

3. प्रयोज्यता

3.1 नीचे विनिर्दिष्ट प्रक्रिया केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, सांविधिक प्राधिकरणों अथवा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य इकाइयों द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित पीपीपी परियोजनाओं पर लागू होगी:-

i. 100 करोड़ रुपए से अधिक और 250 करोड़ रुपए से कम लागत वाली सभी क्षेत्रों की परियोजनाएं

ii. 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपए से कम लागत वाली एनएचडीपी परियोजनाएं जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हैं:

   क. पीपीपीएसी द्वारा समर्थित प्रक्रिया के अनुसार बोली होगी। इसमें दो-चरणों वाली बोली की प्रक्रिया, बोली-पूर्व अर्हता मानदंड आदि शामिल हैं। इसमें निहित है कि प्रथम अवस्था में एनएचएआई दूसरे चरण में वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने के लिए बोली-पूर्व अर्हता मानदंडों के आधार पर बोलीदाताओं की छंटनी कर सकता है और बोलीदाताओं को पूर्व-अर्हता दे सकता है।

   ख. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मॉडल अनुदान करार (एमसीए) भेजा जा रहा है।

   ग. परियोजना को प्रशासनिक मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित मानकों और विनिर्देशनों की नियमपुस्तिका के अनुसार तैयार करके अनुमोदित एमसीए में निर्धारित किया गया है।

3.2 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक तथा 500 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाएं जो उपर्युक्त पैरा 3.1(ii) (क) से (ग) में यथा उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करती हैं उन्हें अनुमोदन के लिए पीपीपीएसी को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

4. परियोजना का चयन

4.1 पीपीपी के माध्यम से चलायी जाने वाली परियोजनाओं के चयन प्रायोजक मंत्रालय/संस्था पहचान करेगा और जहां कहीं भी आवश्यक हो कानूनी, वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से जैसी आवश्यकता होगी, व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना करार आदि तैयार करने का कार्य प्रायोजक मंत्रालय/संस्था द्वारा किया जाएगा।

5. परियोजना दस्तावेजों का प्रतिपादन

5.1 जिन दस्तावेजों को तैयार करने की आवश्यकता होगी उनमें अन्यों के साथ-साथ अनुदान ग्राहियों के साथ किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के करार शामिल हैं जिनमें अनुदान के निबंधनों और विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का ब्यौरा दिया गया होगा। ये परियोजना दस्तावेज परियोजना की किस्म और क्षेत्र के अनुरूप अलग-अलग होंगे। विशेष रूप से, एक पीपीपी में ऐसा अनुदान करार शामिल होगा जिसमें निजी पक्ष को प्रदान किए गए अनुदान के निबंधनों का उल्लेख होगा और सभी पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों को भी शामिल किया गया होगा। खास जरूरतों के लिए सम्बद्ध करार भी हो सकते हैं।

6. एसएफसी का मूल्यांकन/अनुमोदन

6.1 आरएफपी (प्रस्तावों के लिए अनुरोध) अर्थात वित्तीय बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण में उन सभी करारों की एक प्रति लगी होनी चाहिए जिन्हें सफल बोलीदाता के साथ निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है। मसौदा आरएफपी तैयार करने के बाद प्रशासनिक मंत्रालय एसएफसी से स्वीकृति प्राप्त करेगा।

6.2 एसएफसी से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को एसएफसी के सभी सदस्यों को अनुबंध-I में विनिर्दिष्ट प्रारूप में सभी मसौदा परियोजना करारों की प्रतियों तथा परियोजना रिपोर्ट के साथ प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर परिचालित किया जाएगा।

6.3 योजना आयोग परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करके अपने मूल्यांकन टिप्पणी को प्रशासनिक मंत्रालय के पास अग्रेषित करेगा। विधि मंत्रालय और इसमें शामिल अन्य कोई भी मंत्रालय/विभाग प्रशासनिक मंत्रालय को लिखित में अभ्युक्तियां भी अग्रेषित करेगा। एसएफसी, मूल्यांकन टिप्पणी और विभिन्न मंत्रालयों की अभ्युक्तियों तथा उन पर प्रशासनिक मंत्रालय के प्रत्युत्तर पर अपना निर्णय लेगा।

योजना आयोग परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करके अपने मूल्यांकन टिप्पणी को प्रशासनिक मंत्रालय के पास अग्रेषित करेगा

6.4 एसएफसी या तो उपर्युक्त पैरा 2.1(i) या 2.1(ii) में, जो भी लागू होता हो, (आशोधनों सहित या उनके बगैर), समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करेगा अथवा एसएफसी के पुनः विचारार्थ आवश्यक परिवर्तन करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध करेगा।

7. पैरा 2.1 में समिति द्वारा अनुमोदन

7.1 एक बार एसएफसी द्वारा स्वीकृत होने पर परियोजना को फाइल पर पैरा 2.1 में समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। समिति चाहे तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश कर सकती है अथवा प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध कर सकती है कि उसमें आवश्यक परिवर्तन करके समिति के पास पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करे।

7.2 एक बार समिति से स्वीकृत होने पर परियोजना सक्षम प्राधिकारी के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

8. बोलियां आमंत्रित करना

8.1 सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएं। प्रत्येक परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी वही होगा जैसा कि 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले सामान्य निवेश प्रस्तावों के लिए लागू होता है। तथापि, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लम्बित रहते हुए समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जा सकती हैं।

सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लम्बित रहते हुए समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जा सकती हैं

9. समय-सूची

9.1 उपर्युक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए समय-सूची अनुबंध-II में दी गई है।

10. उपर्युक्त प्रक्रिया से छूट

10.1 इन दिशा-निर्देशों के दायरे के अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग नहीं आएंगे।

अनुबंध-I
स्थायी वित्त समिति के लिए ज्ञापन

क्र0सं0	मद	विवरण
1	**सामान्य**	
1.1	परियोजना का नाम	
1.2	सरकारी निजी भागीदारी का प्रकार (बीओटी, बीओओटी, बीओएलटी, ओ एमटी आदि)	
1.3	स्थान (राज्य/जिला/कस्बा)	
1.4	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	
1.5	प्रायोजक प्राधिकरण का नाम	
1.6	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	
2	**परियोजना विवरण**	
2.1	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	
2.2	परियोजना का औचित्य	
2.3	संभावित विकल्प, यदि, कोई हो	
2.4	अनुमानित पूंजी लागत तथा मुख्य व्यय शीर्षों के अंतर्गत अलग-अलग विवरण। लागत अनुमान के आधार का भी उल्लेख करें	
2.5	कितने चरणों में निवेश करना है	
2.6	परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची	
3	**वित्त-पोषण की व्यवस्था**	
3.1	वित्तपोषण के स्रोत (इक्विटी, ऋण, बिचौलिया पूंजी आदि)	
3.2	परियोजना राजस्व प्रवाह (परियोजना की अवधि में वार्षिक प्रवाह) का उल्लेख करें। किन धारणाओं पर विचार चल रहा है, निर्दिष्ट करें	
3.3	12 प्रतिशत छूट सहित राजस्व प्रवाह का एनपीवी दर्शाएं	

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

3.4	टैरिफ/प्रयोक्ता प्रभार कौन नियत करेगा? कृपया विस्तारपूर्वक बताएं	
3.5	क्या किसी वित्तीय संस्था से संपर्क किया गया है, यदि हां, तो इस संबंध में उनका उत्तर निर्दिष्ट करें	
4	**आंतरिक लाभ दर**	
4.1	आर्थिक आंतरिक लाभ दर (यदि गणना की गई है)	
4.2	वित्तीय आईआरआर, विभिन्न पूर्वानुमानों का भी उल्लेख करें (यदि आवश्यक हो, तो पृथक पत्रक संलग्न करें)	
5	**स्वीकृतियां**	
5.1	पर्यावरणीय स्वीकृतियों की स्थिति	
5.2	राज्य सरकार और अन्य स्थानीय निकायों से अपेक्षित स्वीकृतियां	
5.3	राज्य सरकार से अपेक्षित अन्य सहायता	
6	**भारत सरकार की सहायता**	
6.1	अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण, यदि आवश्यक हो	
6.2	भारत सरकार की मांगी जा रही गारंटी, यदि आवश्यक है	
7	**अनुदान करार**	
7.1	क्या अनुदान करार एमसीए पर आधारित है? यदि हां, तो अंतर बताएं, विस्तृत टिप्पणियां, यदि कोई हो (संलग्न करें)	
7.2	अनुदान करार का ब्यौरा (परिशिष्ट 'क' संलग्न)	
8	**छांटने की प्रक्रिया**	
8.1	क्या छांटने की प्रक्रिया एक चरण में अथवा दो चरणों में होनी चाहिए?	
8.2	छांटने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करें (यदि आवश्यक हो, अलग से पत्रक संलग्न करें)	
9	**अन्य**	
9.1	अभ्युक्तियां, यदि कोई हैं	

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

परिशिष्ट-क

अनुदान करार का संक्षिप्त विवरण

क. प्रायोजक मंत्रालय

ख. परियोजना का नाम और स्थान

ग. कानूनी सलाहकार

घ. वित्त सलाहकार

क्र0सं0	मद	धारा सं0	विवरण
1	**सामान्य**		
1.1	परियोजना का व्याप्ति क्षेत्र (कृपया लगभग 200 शब्दों में उल्लेख करें)		
1.2	प्रदान किए जाने वाले अनुदान की प्रकृति		
1.3	अनुदान की अवधि और अवधि निर्धारित करने का औचित्य		
1.4	अनुमानित पूंजी लागत		
1.5	संभावित निर्माण अवधि		
1.6	अनुदान को प्रभावी बनाने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें, यदि कोई हों		
1.7	भूमि अधिग्रहण की स्थिति		
2	**निर्माण और संगठन एवं पद्धति**		
2.1	निर्माण की निगरानी; क्या इसके लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी/इंजीनियर को लगाया गया है		
2.2	संगठन एवं पद्धति संबंधी न्यूनतम मानक		
2.3	संगठन एवं पद्धति संबंधी निर्धारित मानकों/कार्य निष्पादन मानकों का उल्लंघन किए जाने पर शास्तियां		
2.4	सुरक्षा संबंधी प्रावधान		
2.5	पर्यावरण संबंधी प्रावधान		
3	**वित्तीय**		
3.1	वित्तीय समापन करने के लिए अधिकतम अवधि		
3.2	विचाराधीन पूंजी अनुदान/सब्सिडी की प्रकृति और सीमा		

क्र0सं0	मद	धारा सं0	विवरण
3.3	बोली मापदण्ड (पूंजी सब्सिडी अथवा अन्य मापदण्ड)		
3.4	व्याप्ति क्षेत्र परिवर्तन और उसके वित्तीय बोझ को कम करने के प्रावधान		
3.5	अनुदानग्राही द्वारा देय अनुदान शुल्क, यदि कोई हो		
3.6	अनुदानग्राही द्वारा वसूल किया जाने वाला प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क		
3.7	उल्लेख करे कि प्रयोक्ता शुल्क कैसे निर्धारित किया जाएगा; प्रयोक्ता शुल्क के समर्थन में विधिक प्रावधान (संगत नियम/अधिसूचना की प्रति संलग्न करें); और मुद्रास्फीति के लिए सूचीकरण की सीमा और प्रकृति		
3.8	अल्प राजस्व संग्रहण के जोखिम को कम करने के लिए प्रावधान, यदि कोई हो		
3.9	विलेख खाते के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हो		
3.10	बीमा के संबंध में प्रावधान		
3.11	दावों की लेखा-परीक्षा और प्रमाणीकरण संबंधी प्रावधान		
3.12	उधारकर्ताओं के कार्य सौंपने/स्थानापन्न संबंधी अधिकारों से संबंधित प्रावधान		
3.13	कानून में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान		
3.14	समापन/समय व्यतीत हो जाने पर आस्तियों की अनिवार्य रूप से वापसी खरीद के लिए प्रावधान; यदि कोई हो		
3.15	सरकार की आकस्मिक देयताएं		
	(क) सरकार/प्राधिकरण से चूक होने पर अधिकतम समापन भुगतान		
	(ख) अनुदानग्राही से चूक होने पर, अधिकतम समापन भुगतान		
	(ग) करार के अंतर्गत विचाराधीन किसी अन्य शास्ति, क्षतिपूर्ति अथवा संदाय का उल्लेख करें		

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

क्र0सं0	मद	धारा सं0	विवरण
4	**अन्य**		
4.1	प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हों		
4.2	प्रस्तावित विवाद समाधान तंत्र का विवरण दें		
4.3	प्रस्तावित शासी कानून और इसके औचित्य का विवरण दें		
4.4	अन्य अभ्युक्तियां, यदि कोई हों		

अनुबंध-II

मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न उपायों हेतु अपेक्षित समय

क्र0सं0	कार्रवाई	समय-सीमा
1.	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा परिचालित किए गए दस्तावेजों पर योजना आयोग अथवा अन्य किसी मंत्रालय/विभाग की टिप्पणियां	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एसएफसी ज्ञापन के परिचालन के समय से तीन सप्ताह
2.	एसएफसी द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एसएफसी ज्ञापन के परिचालन के समय से पांच सप्ताह
3.	फाइल में सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय/सचिव डीओआरटीएच समिति द्वारा स्वीकृति	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एसएफसी ज्ञापन के परिचालन के समय से सात सप्ताह
4.	सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एसएफसी ज्ञापन के परिचालन के समय से नौ सप्ताह

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देश

100 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाऐं

1. प्रस्तावना

1.1 केन्द्र सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रिया अधिसूचित की है। आर्थिक कार्य विभाग ने 100 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत वाली अथवा जिनमें विचाराधीन आस्तियों का मूल्य-निर्धारण 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की बड़ी राशि पर किया जाता है, सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 100 करोड़ रुपए से कम लागत वाली सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के मूल्यांकन/अनुमोदन के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई है।

2. संस्थागत संरचना

2.1 5 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए से अधिक, परन्तु 25 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन स्थायी वित्त समिति द्वारा किया जाएगा। 25 करोड़ रुपए से अधिक, परन्तु 100 करोड़ रुपए से कम लागत वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति द्वारा किया जाएगा। स्थाई वित्त समिति और व्यय वित्त समिति का गठन उसी प्रकार किया जाएगा जैसाकि 100 करोड़ रुपए से कम लागत वाले सामान्य निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित है, सिवाए इस बात के कि इन समितियों में विधिक कार्य विभाग का भी प्रतिनिधित्व होगा क्योंकि अनुदान करारों की ध्यानपूर्वक विधिक जांच किए जाने की जरूरत होगी। प्रत्येक परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार 100 करोड़ रुपए से कम लागत वाले सामान्य निवेश प्रस्तावों के लिए लागू होता है।

सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं

3. प्रयोज्यता

3.1 ये दिशा-निर्देश केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, सांविधिक प्राधिकरणों अथवा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा प्रायोजित सभी सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए लागू होंगे। केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के मामले में, ये दिशा-निर्देश केवल उन प्रस्तावों के संबंध में लागू होंगे जो सामान्य निवेश संबंधी निर्णयों के लिए केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की वर्तमान प्रत्यायोजित शक्तियों से बाहर हैं।

4. परियोजना का चयन

4.1 प्रायोजक मंत्रालय/प्रतिष्ठान, सरकारी निजी भागीदारी से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का चयन करेंगे और वित्तिक, वित्तीय तथा तकनीकी विशेषज्ञों, जैसी भी आवश्यकता हो, की सहायता से संभाव्यता अध्ययन, परियोजना करार आदि तैयार करने का कार्य करेंगे।

5. अन्तर-मंत्रालयीय विचार-विमर्श

5.1 प्रशासनिक मंत्रालय परियोजना का ब्यौरा और अनुदान करार की शर्तें मूल्यांकन एजेंसियों को परिचालित करेगा और प्राप्त अभिमतों को स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा अथवा उसके साथ संलग्न किया जाएगा।

5.2 ऐसी भी परियोजनाएं हो सकती हैं जिनमें एक से अधिक मंत्रालय/विभाग शामिल हों। ऐसी परियोजनाओं पर विचार करते समय इन मंत्रालयों/विभागों से सहयोग के लिए अनुरोध किया जाएगा।

6. परियोजना दस्तावेज तैयार करना

6.1 तैयार किए जाने वाले जरूरी दस्तावेजों में, अन्य के साथ, अनुदानग्राहियों के साथ किए जाने वाले विभिन्न करार शामिल होंगे जिनमें अनुदान की शर्तों और विभिन्न पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों का ब्यौरा दिया जाएगा। ये परियोजना दस्तावेज, परियोजना के क्षेत्र तथा प्रकार के अनुरूप भिन्न-भिन्न होंगे। सरकारी निजी भागीदारी में, विशिष्ट रूप से, अनुदान करार होगा जो निजी पक्षकार को प्रदान किए गए अनुदान की शर्तों को निर्दिष्ट करेगा और इसमें सभी पक्षकारों के अधिकार और दायित्व सम्मिलित होंगे। विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर संबधित करार किए जा सकेंगे।

7. स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति का मूल्यांकन/अनुमोदन

ये परियोजना दस्तावेज, परियोजना के क्षेत्र तथा प्रकार के अनुरूप भिन्न-भिन्न होंगे। सरकारी निजी भागीदारी में, विशिष्ट रूप से, अनुदान करार होगा जो निजी पक्षकार को प्रदान किए गए अनुदान की शर्तों को निर्दिष्ट करेगा

7.1 प्रस्तावों के लिए अनुरोध अर्थात् वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण में, सामान्यतः सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित सभी करारों की एक-एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए। प्रस्तावों के लिए अनुरोध का प्रारूप तैयार करने के बाद, प्रशासनिक मंत्रालय, वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने से पूर्व स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति की स्वीकृति के लिए अनुरोध करेगा।

7.2 स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति का अनुमोदन मांगने का प्रस्ताव सभी परियोजना करारों के प्रारूपों और परियोजना रिपोर्ट की प्रतियों सहित अनुबंध-। में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में, स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।

7.3 योजना आयोग परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा और अपनी मूल्यांकन टिप्पणी प्रशासनिक मंत्रालय को अग्रेषित करेगा। इसमें शामिल विधि मंत्रालय और अन्य मंत्रालय/विभाग भी प्रशासनिक मंत्रालय को अपने अभिमत निर्धारित समय-सीमा के अन्दर लिखित रूप में भेजेगें। स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति मूल्यांकन रिपोर्ट और विभिन्न मंत्रालयों के अभिमतों एवं इन पर प्रशासनिक मंत्रालय के दृष्टिकोण पर विचार करेगी।

7.4 स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति या तो प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी (संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना) के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगी अथवा प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध करेगी कि उसमें आवश्यक संशोधन करें जिससे कि यह समिति उस पर पुनः विचार कर सके।

7.5 एक बार स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति से परियोजना की स्वीकृति मिल जाने पर उस परियोजना प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

8. बोलियां आमंत्रित करना

8.1 सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जा सकेंगी। प्रत्येक परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी वही होगा, जैसाकि 100 करोड़ से कम लागत वाले सामान्य निवेश प्रस्तावों के मामले में लागू होता है।

योजना आयोग परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा और अपनी मूल्यांकन टिप्पणी प्रशासनिक मंत्रालय को अग्रेषित करेगा

9. निर्धारित समय-सीमा

9.1 उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए निर्धारित समय-सीमा अनुबंध-II में दी गई है।

10. उपर्युक्त प्रक्रिया से छूट

10.1 रक्षा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अन्तरिक्ष विभाग को इन दिशा-निर्देशों के अधिकार-क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा।

अनुबंध-I
स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति के लिए ज्ञापन

क्र0सं0	मद	विवरण
1	**सामान्य**	
1.1	परियोजना का नाम	
1.2	सरकारी निजी भागीदारी परियोजना का प्रकार (बीओटी, बीओओटी, बीओएलटी, ओएमटी आदि)	
1.3	स्थान (राज्य/जिला/कस्बा)	
1.4	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	
1.5	प्रायोजक प्राधिकरण का नाम	
1.6	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	
2	**परियोजना विवरण**	
2.1	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	
2.2	परियोजना का औचित्य	
2.3	संभावित विकल्प, यदि कोई हो	
2.4	अनुमानित पूंजी लागत तथा मुख्य व्यय शीर्षों के अंतर्गत इनका अलग-अलग विवरण। लागत अनुमान के आधार का भी उल्लेख करें	
2.5	कितने चरणों में निवेश करना है	
2.6	परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची	
3	**वित्त-पोषण की व्यवस्था**	
3.1	वित्तपोषण के स्रोत (इक्विटी, ऋण, बिचौलिया पूंजी आदि)	
3.2	परियोजना राजस्व प्रवाह (परियोजना की अवधि में वार्षिक प्रवाह) का उल्लेख करें। किन धारणाओं पर विचार चल रहा है, निर्दिष्ट करें	

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

क्र0सं0	मद	विवरण
3.3	12 प्रतिशत छूट सहित राजस्व प्रवाह का एनपीवी दर्शाएं	
3.4	टैरिफ/प्रयोक्ता प्रभार कौन नियत करेगा? कृपया विस्तारपूर्वक दर्शाएं	
3.5	क्या किसी वित्तीय संस्था से संपर्क किया गया है, यदि हां, तो इस संबंध में उनका उत्तर निर्दिष्ट करें	
4	**आंतरिक लाभ दर**	
4.1	आर्थिक आंतरिक लाभ दर (यदि गणना की गई है)	
4.2	वित्तीय आईआरआर, विभिन्न पूर्वानुमानों का भी उल्लेख करें (यदि आवश्यक हो तो पृथक पत्रक संलग्न करें)	
5	**स्वीकृतियां**	
5.1	पर्यावरणीय स्वीकृतियों की स्थिति	
5.2	राज्य सरकार और अन्य स्थानीय निकायों से अपेक्षित स्वीकृति	
5.3	राज्य सरकार से अपेक्षित अन्य सहायता	
6	**भारत सरकार की सहायता**	
6.1	अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण, यदि अपेक्षित हो	
6.2	भारत सरकार की मांगी जा रही गारंटियां, यदि अपेक्षित हो	
7	**अनुदान करार**	
7.1	क्या अनुदान करार एमसीए पर आधारित है? यदि हां, तो विस्तृत टिप्पणी में अंतरों का उल्लेख करें, यदि कोई हो, (संलग्न किया जाए)	
7.2	प्रस्तावित अनुदान करार का मियाद पत्रक (परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न)	
8	**छांटने की प्रक्रिया**	
8.1	क्या छांटने की प्रक्रिया एक चरण में अथवा दो चरणों में होनी चाहिए?	
8.2	छांटने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करें (यदि आवश्यक हो, अलग से पत्रक संलग्न करें)	
9	**अन्य**	
9.1	अभ्युक्तियां, यदि कोई हैं	

परिशिष्ट-क

अनुदान करार का संक्षिप्त विवरण

क. प्रायोजक मंत्रालय

ख. परियोजना का नाम और स्थान

ग. कानूनी सलाहकार

घ. वित्त सलाहकार

क्र0सं0	मद	धारा संख्या	विवरण
1	**सामान्य**		
1.1	परियोजना का व्याप्ति क्षेत्र (कृपया लगभग 200 शब्दों में उल्लेख करें)		
1.2	प्रदान किए जाने वाले अनुदान की प्रकृति		
1.3	अनुदान की अवधि और अवधि निर्धारित करने का औचित्य		
1.4	अनुमानित पूंजी लागत		
1.5	संभावित निर्माण अवधि		
1.6	अनुदान को प्रभावी बनाने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें, यदि कोई हों		
1.7	भूमि अधिग्रहण की स्थिति		
2	**निर्माण और संगठन एवं पद्धति**		
2.1	निर्माण की निगरानी; क्या इसके लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी/इंजीनियर को लगाया गया है		
2.2	संगठन एवं पद्धति संबंधी न्यूनतम मानक		
2.3	संगठन एवं पद्धति संबंधी निर्धारित मानकों/कार्य निष्पादन मानकों का उल्लंघन किए जाने पर शास्तियां		
2.4	सुरक्षा संबंधी प्रावधान		
2.5	पर्यावरण संबंधी प्रावधान		
3	**वित्तीय**		
3.1	वित्तीय समापन के लिए अधिकतम अवधि		
3.2	विचाराधीन पूंजी अनुदान/सब्सिडी की प्रकृति और सीमा		
3.3	बोली मापदण्ड (पूंजी सब्सिडी अथवा अन्य मापदण्ड)		
3.4	व्याप्ति क्षेत्र परिवर्तन और उसके वित्तीय बोझ को कम करने के प्रावधान		
3.5	अनुदानग्राही द्वारा देय शुल्क, यदि कोई हो		
3.6	अनुदानग्राही द्वारा वसूल किया जाने वाला प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क		

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

क्र0सं0	मद	धारा संख्या	विवरण
3.7	उल्लेख करें कि प्रयोक्ता शुल्क कैसे निर्धारित किया जाएगा; प्रयोक्ता शुल्क के समर्थन में विधिक प्रावधान (संगत नियम/अधिसूचना की प्रति संलग्न करें); और मुद्रास्फीति के लिए सूचीकरण की सीमा और प्रकृति		
3.8	कम राजस्व संग्रहण के जोखिम को कम करने के लिए प्रावधान, यदि कोई हो		
3.9	विलेख खाते के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हो		
3.10	बीमा के संबंध में प्रावधान		
3.11	दावों की लेखा-परीक्षा और प्रमाणीकरण संबंधी प्रावधान		
3.12	उधारकर्ता समनुदेशन/स्थानापन्न अधिकारों से संबंधित प्रावधान		
3.13	कानून में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान		
3.14	समापन/समय व्यतीत हो जाने पर आस्तियों की अनिवार्य रूप से वापसी खरीद के लिए प्रावधान; यदि कोई हो		
3.15	सरकार की आकस्मिक देयताएं		
	(क) सरकार/प्राधिकरण से चूक होने पर अधिकतम समापन भुगतान		
	(ख) अनुदानग्राही से चूक होने पर, अधिकतम समापन भुगतान		
	(ग) करार के अंतर्गत विचाराधीन किसी अन्य शास्ति, क्षतिपूर्ति अथवा संदाय का उल्लेख करें		
4	**अन्य**		
4.1	प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के संबंध में प्रावधान, यदि कोई हों		
4.2	प्रस्तावित विवाद निस्तारण तंत्र का विवरण दें		
4.3	प्रस्तावित शासी कानून और औचित्य का विवरण दें		
4.4	अन्य अभ्युक्तियां, यदि कोई हों		

अनुबंध-II

सरकारी निजी भागीदारी परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले विभिन्न उपायों के लिए अपेक्षित समय

क्र0सं0	कार्रवाई	कितना समय लगा
1.	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतिम दस्तावेजों पर योजना आयोग, आर्थिक कार्य विभाग अथवा किसी अन्य मंत्रालय/विभाग की टिप्पणियां	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति ज्ञापन प्रस्तुत करने के समय से चार सप्ताह
2.	स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति द्वारा परियोजना का अनुमोदन	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति ज्ञापन प्रस्तुत करने के समय से छह सप्ताह
3.	सक्षम प्राधिकरण द्वारा परियोजना का अनुमोदन	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति ज्ञापन प्रस्तुत करने के समय से आठ सप्ताह

सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदन की प्रक्रियाऐं

सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति का गठन

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति ने 27 अक्तूबर, 2005 को हुई अपनी बैठक में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की अनुमोदन प्रक्रिया स्वीकृत की थी। इस निर्णय के अनुसरण में, एक सरकारी निजी भागीदारी अनुमोदन समिति स्थापित की जा रही है जो निम्नानुसार होगी:

(क) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (अध्यक्ष)

(ख) सचिव, योजना आयोग

(ग) सचिव, व्यय विभाग

(घ) सचिव, विधिक कार्य विभाग; और

(ङ) परियोजना प्रायोजित करने वाले विभाग के सचिव

2. इस समिति के लिए सचिवालय संबंधी सहायता आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। यह विभाग इन प्रस्तावों पर कार्रवाई के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। यह समिति, आवश्यकता होने पर, विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगी।

3. सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया अनुबंध-I के रूप में संलग्न है। इस विभाग द्वारा मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक रूप से अधिसूचित किए जाएंगे।

प्रदीप कुमार देब
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: इसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा का0ज्ञा0सं0 एफ 2/10/2004-आईएनएफ दिनांक 29 नवम्बर, 2005 के तहत अधिसूचित किया गया है।

अनुबंध-I
सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदन की प्रक्रियाएं

जैसा कि सरकार ने निजी भागीदारी के माध्यम से विकास कार्य करना शुरू किया है अतः ऐसे उपयुक्त अनुमोदन तंत्रों की स्थापना करना जरूरी होगा जिनका उद्देश्य पैसे की सही कीमत वसूल करना हो

1. केन्द्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र की उन परियोजनाओं के संबंध में निवेश अनुमोदन के लिए एक व्यापक प्रणाली तैयार की है जो सचिव, व्यय विभाग की अध्यक्षता में सरकारी निवेश बोर्ड (पीआईबी) की देख-रेख में कार्य करती हैं और जिन्हें परियोजना मूल्यांकन प्रभाग के माध्यम से योजना आयोग स्वतंत्र मूल्यांकन उपलब्ध कराता है, तथा उसके पश्चात उन पर मंत्रिमंडल/सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। अनुमोदित परियोजनाओं पर व्यय वित्तीय नियमों और शक्तियों के प्रत्यायोजन द्वारा शासित होता है।

2. चूंकि सरकार सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से विकास की ओर बढ़ रही है, इसलिए एक ऐसी उपयुक्त अनुमोदन प्रणाली की स्थापना करना आवश्यक होगा जिसका उद्देश्य धनराशि का उपयुक्त मूल्य प्राप्त करना हो। सड़कें, पत्तन, विमानपत्तन और शहरी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में पीपीपी परियोजनाएं सामान्य गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं नहीं हैं। ये प्रतिस्पर्द्धी बाजारों द्वारा शासित होती हैं जिनमें कीमतों का निर्धारण प्रतिस्पद्धा के माध्यम से होता है और इनमें सरकारी संसाधन शामिल नहीं होते। पीपीपी परियोजनाओं में सरकार द्वारा यथोचित ध्यान देने की आवश्यकता होगी क्योंकि परियोजनाओं में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:-

   (क) भूमि सहित सरकारी परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण (जैसे कि मौजूदा सड़क या विमानपत्तन सुविधा);

   (ख) उन प्रयोक्ता प्रभारों का संग्रहण और विनियोजन करने के लिए जिन्हें कानून के बल पर वसूल किया जाता है और इसलिए उन्हें 'तर्कसंगत' ठहराया जाता है, सरकारी प्राधिकारों का प्रत्यायोजन;

   (ग) एकाधिकार अथवा अर्द्ध एकाधिकार की स्थिति में प्रयोक्ताओं के लिए सेवाओं का प्रावधान करना जिससे सरकार की विशेष रूप से जिम्मेदारी हो जाती है कि वह सेवा की उचित गुणवत्ता को सुनिश्चित करे; और

   (घ) सरकार द्वारा जोखिमों और आकस्मिक देनदारियों को बांटना अर्थात् जब दावे संबंधित करारों के तहत किए जाते है अथवा जब केन्द्र सरकार को अनुदान प्रदान करने वाली कम्पनी द्वारा गैर-निष्पादन के लिए समर्थन के रूप में गारंटी प्रदान करनी पड़े। उन मामलों में भी जहां स्पष्ट रूप में गारंटी का प्रावधान नहीं है, इस बात का खतरा हो जाता है कि राज्य सरकार की ओर से गैर-निष्पादन के लिए भी द्विपक्षीय निवेश संवर्धन करारों के तहत दावे किए जा सकते हैं।

3. भारत में पीपीपी अभी प्रारम्भिक अवस्था में है लेकिन पीपीपी पर बढ़ती हुई निर्भरता को देखते हुए परियोजनाओं की शर्तों की कड़ी जांच करनी होगी। चूंकि परियोजना की शर्तों को लेकर होने वाले विवादों के कारण सरकार को अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ सकती है, इसलिए कहना न होगा कि अनुदान की शर्तों को भलीभांति निर्धारित करने का कितना महत्व है।

4. परियोजना प्रायोजकों का प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से चयन किए जाने के बावजूद भी उन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। वास्तव में, प्रतिस्पर्द्धी बोली का जरिया बोलीदाताओं के चयन के लिए मात्र एक मंच प्रदान करता है; यह जरूरी नहीं है कि इससे निष्पादन के स्तर, प्रयोक्ताओं की समस्याओं, सरकारी राजस्व और आकस्मिक देनदारियों के मामले में कोई फायदा हो। इसलिए परियोजना की शर्तें महत्वपूर्ण हैं।

5. इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब से पीपीपी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित प्रणाली को अनुबधित करने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना की शर्तों उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण सरकार को काफी खर्च करना पड़ सकता है जिससे पता चलता है कि अनुदान की शर्तों को सावधानीपूर्वक तैयार करना कितना जरूरी है

पीपीपी मूल्यांकन समिति

6. सरकारी निवेश बोर्ड के मॉडल पर पीपीपी मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी जिसका गठन निम्नलिखित होगाः

   (क) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (अध्यक्ष)

   (ख) सचिव, योजना आयोग

   (ग) सचिव, व्यय विभाग

   (घ) सचिव, विधि कार्य विभाग, और

   (ङ) परियोजना को प्रायोजित करने वाले विभाग के सचिव

   समिति की व्यवस्था आर्थिक कार्य विभाग द्वारा की जाएगी जो ऐसे प्रस्तावों की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा। समिति आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकती है।

7. वित्त मंत्रालय एक केन्द्रक मंत्रालय होगा जो अनुदान करारों की वित्तीय दृष्टि से जांच करने, दी जाने वाली गारंटियों का निर्धारण करने और सामान्यतया, निवेश तथा बैंकिंग दृष्टिकोण से जोखिम आवंटन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगा। मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि परियोजनाओं की जांच सरकारी खर्च के संदर्भ में की गई है।

8. योजना आयोग वर्तमान पीएएमडी जो सरकारी (पब्लिक) क्षेत्र की परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है, के अनुरूप ही पीपीपी मूल्यांकन यूनिट (पीपीपीएयू) की स्थापना करेगा। यह यूनिट पीपीपीएसी के लिए मूल्यांकन नोट तैयार करेगा जिसमें अनुदान की शर्तों में सुधार करने के लिए, जहां संभव है, खास सुझाव प्रस्तुत करेगा।

9. विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग की पीपीपी मूल्यांकन समिति का प्रतिनिधित्व करेगा क्योंकि अनुदान करारों की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता होती है।

10. पीपीपी परियोजनाओं के आकार और जटिलता को देखते हुए अपेक्षित सम्यक तत्परता के लिए विधि, वित्त और तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता लेना जरूरी होगा। ऐसा करना सरकार के हित की सुरक्षा के लिए भी जरूरी होगा विशेष रूप से यह देखते हुए कि इन परियोजनाओं के लिए वार्ता करते समय निजी क्षेत्र के भागीदार उच्च योग्यता प्राप्त विशेषज्ञों को नियुक्त करेंगे। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे।

11. उन परियोजनाओं को जिनकी पूंजी लागत अथवा आस्तियों का निर्धारित मूल्य 100 करोड़ रुपए से अधिक है, पीपीपी मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद परियोजना अन्तिम अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

परियोजना निर्माण और मूल्यांकन

इस प्रकार वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने के प्रयोजन के लिए अंतिम रूप दिए गए अनुदान करारों पर तकनीकी और वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने से पूर्व सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए

12. संबंधित मंत्रालय विधि, वित्त तथा तकनीकी परामर्शकों की सलाह से और जरूरत पड़ने पर अन्तः मंत्रालयीय परामर्शदाता समूह की भी मदद प्राप्त करके अपने प्रस्ताव तैयार करेगा। मंत्रालय द्वारा तैयार प्रस्ताव पर संभावित निवेशकों की रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने से पूर्व पीपीपी मूल्यांकन समिति द्वारा 'सिद्धांततः' अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।

13. संबंधित मंत्रालय पीपीपी मूल्यांकन समिति की 'सिद्धांततः' स्वीकृति प्राप्त होने के बाद रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करेगा और दस्तावेजों पर आगे कार्रवाई करेगा। जहां जरूरी होगा अन्तः मंत्रालयीय विचार-विमर्श तथा बोली-पूर्व सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने के प्रयोजनार्थ अन्तिम रूप दिए गए अनुदान करारों पर तकनीकी और वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने से पूर्व पीपीपी मूल्यांकन समिति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

14. उन मामलों में जहां परियोजना विधिवत् अनुमोदित मॉडल अनुदान करार (एमसीए) पर आधारित होती है, पीपीपी मूल्यांकन समिति की 'सिद्धांततः' स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे मामलों में पीपीपी मूल्यांकन समिति का अनुमोदन तकनीकी और वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने से पूर्व ही प्राप्त किया जाएगा।

15. एमसीए से ऐसे परिवर्तनों की स्थिति में जो कि महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक नहीं हैं, इन परिवर्तनों के लिए वित्त मंत्री के अनुमोदन से पीपीपी मूल्यांकन समिति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। जिन मामलों में परिवर्तन महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक हैं, एमसीए को अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकरण का अनुमोदन लेना जरूरी होगा।

16. उन परियोजनाओं के संबंध में जिनकी पूंजी लागत अथवा आस्तियों का निर्धरित मूल्य 100 करोड़ रुपए से कम है, व्यय विभाग अनुदान करारों के मूल्यांकन के ब्यौरे-वार दिशा-निर्देश जारी करेगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए पीपीपी मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन/अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी और इन्हें ईएफसी/एसएफसी, जो भी व्यवहार्य होगा, की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

17. उपर्युक्त व्यवस्था में एक स्वतंत्र अनुमोदन प्रक्रिया अन्तर्निहित है। प्रशासनिक मंत्रालय विकास की एक 'सक्रिय' नीति अपना सकता है लेकिन योजना आयोग सम्यक तत्परता, अन्य क्षेत्रों की प्रक्रियाओं से सुसंगति और सर्वोत्तम प्रणाली पर विचार करने पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है। वित्त मंत्रालय इसमें केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्तर्ग्रस्तता की सीमा पर विचार कर सकता है और एक मध्यस्थ की भी भूमिका निभा सकता है।